

राजस्थान आवासन मण्डल:जयपुर।

क्रमांक:-प.1(1)कार्मिक / नि.चि. / पैशनर्स / 31/09/35/4, दिनांक:- 9/3/09

:: कार्यालय—आदेश ::

राजस्थान आवासन मण्डल सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी चिकित्सा राहत कोष नियमावली—2005 के अन्तर्गत सेवानिवृत्त आवासन मण्डल कर्मचारी/अधिकारी की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुए फोर्टीज एस्कोर्ट्स् हॉस्पिटल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर एंव एस.के.सोनी हॉस्पिटल, सैक्टर—5, विद्याधर नगर, शीकर रोड, जयपुर को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त मण्डल कार्मिकों के चिकित्सा उपयोग हेतु एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदया का अनुमोदन प्राप्त है तथा बोर्ड अनुमोदन की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

सचिव
[Signature]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख निजी—सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक—सचिव / वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा.आ.म., जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, वृत्त....., राजस्थान आवासन मण्डल,
5. आवासीय अभियंता, खण्ड....., राजस्थान आवासन मण्डल,
6. फोर्टीज एस्कोर्ट्स् हॉस्पिटल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर
7. एस.के.सोनी हॉस्पिटल, सैक्टर—5, विद्याधर नगर, जयपुर
8. समर्त प्रकोष्ठ मुख्यालय....., रा.आ.मण्डल, जयपुर।
9. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

सचिव
[Signature]